तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी
अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

<u>दिनांक : 09–1–2020</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / निगरानीकर्ता ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ढिलकी जाटान तहसील नोहर के आराजी खसरा नम्बर–5 मिन रकबा 160 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–13 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा किता 2 रकबा 201 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसका खातेदार काश्तकार तेजाराम पुत्र भोजाराम जाट था जिसका स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके दो पुत्र सुखराम व उदयीराम थे, जो कि उक्त भूमि के आधे आधे हिस्से के खातेदार बन गये। वादी का कथन है कि उसे सुखराम ने गोद लिया था और इसी आधार पर वह विवादित भूमि में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हित रखता है। विवादित भूमि में से कुछ भूमि सुखराम ने बेचान कर दी एवं कुछ भूमि बख्शीश कर दी। इस प्रकार सुखराम के खाते में केवल 21 बीघा भूमि ही शेष रही जिस पर वादी धर्मपाल खातेदार के रूप में काबिज है। सुखराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमि उसकी पुत्रियों के खाते में दर्ज कर दी। उसके पश्चात मु. चन्दो ने चक 12 जी.जी.एम. में अपना हिस्सा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 16–3–1999 के द्वारा अप्रार्थी संख्या–5 लगायत 8 को बेचान कर दी तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–4 मु. रज्जो ने भी वादग्रस्त भूमि में से अपना 123.5 हिस्सा यानि 6 बीघा साढे तीन बिस्वा भूमि होना उल्लेख करते हुये विक्रय पत्र दिनांक 22–11–1999 के द्वारा अप्रार्थी संख्या–10 मेहरचन्द को बेचान कर दी, जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 20–6–1988 द्वारा रहन,बय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–4–2002 द्वारा ताफैसला वाद आराजी मुतनाजा की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध मु. रामप्यारी ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 28–12–2002 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 28–12–2002 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री ब्रह्मनन्द शर्मा, अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन दिनांक 3–12–2019 को अप्रार्थीगण व उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 28–12–2002 न्याय नियम व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी वादी धर्मपाल के पक्ष में सन्देह से परे साबित पाये जाने के कारण आदेश दिनांक 12–4–2002 द्वारा वाद पत्र आराजी की स्थिति को यथावत बनाये रखी जाने का आदेश दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि धारा–52 टी.पी. एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार **लिसपेंडेंसी के सिद्धान्त**'' से बाधित होने के कारण प्रभाव शून्य **''नल एण्ड वोईड''** है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी / वादी धर्मपाल को गोद पुत्र के रूप में गोद लिया है जिसके बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 14–1–1983 को तहरीर करवाया गया है। उन्होंने राजस्व मण्डल द्वारा निर्णीत निगरानी संख्या–6/99 बउनवान धर्मपाल बनाम मु. चन्दो में पारित निर्णय दिनांक 13–10–2003 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 29–12–1998 निरस्त कर दिया और उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 15–6–1998 को यथावत रखा गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 28–12–2002 निरस्त किया जाकर सहायक कलेक्टर एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी, नोहर का आदेश दिनांक 12–4–2002 बहाल रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें पेश की :–

> It is the established basic principal that the property in dispute to be preserved till final decision of the case
> (i) R.R.T. 2014(1) Page-692
> (ii) R.B.J. 2010 Page-468

5– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि मृतक सुखराम को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी / निगरानीकर्ता का हित निहित है। वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक किया हुआ है अतः विवादित भूमि में वादी / निगरानीकर्ता का प्रथम दृष्ट्या मामला भली–भांति सिद्ध होता है। सुखराम ने कुछ भूमि अपनी पुत्रियों को तथा कुछ भूमि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी है। सुखराम की पुत्रियों ने भी कुछ भूमि अप्रार्थीगण को बेचान कर दी है। इस प्रकार विवादित भूमि का हस्तान्तरण होता रहा है। वाद के विचाराधीन रहते हुये यह निश्चित किया जाना चाहिये कि आगे भी विवादित भूमि का बेचान नहीं हो पाये, इसके लिये विवादित भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखनी आवश्यक है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रकट किया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

7– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय में अंकित किया था कि माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या–6/99 विचाराधीन है। चूंकि अब इस निगरानी का निर्णय हो चुका है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय अपास्त कर दिया गया है। अतः हमारा विनम्र मत है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 28–12–2002 त्रुटिपूर्ण निर्णय है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

8– फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 28–12–2002 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 12–4–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 167 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए